138

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1343-दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 9-7-2007 - पारित व्दारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक 585/2005-06 अपील

मनोहर कुशवाह पुत्र लक्खू कुशवाह
निवासी ईदगाह मोहल्ला दतिया
तहसील व जिला दतिया मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री ओ0पी0 शर्मा)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी)

आ दे श

(आज दिनांक 16-1 -2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 585/05-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-7-2007 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार दतिया के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109/110 के अंतर्गत आवेदन देकर दतिया गिर्द नगर की भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 0.599 हैक्टर पर नामान्तरण की प्रार्थना की। तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 81/2004-05 अ-6 पंजीबद्व किया तथा जॉच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 7-9-2005 पारित करके आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी दतिया के समक्ष अपील क्र. 17/ 05-06 प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को श्रवण कर आदेश दिनांक 17-8-2006 पारित किया तथा अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 585/05-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-7-2007 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एंव मध्य प्रदेश शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदक के संहिता की धारा 109/110 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 81 अ-6/2004-05 पंजीबद्व करके जब जॉच की है तथा जॉच में पाया गया कि दतिया गिर्द की भूमि सर्वे नंबर 1507 रकबा 0.583 तथा सर्वे नंबर 1508 रकबा 0.016 कुल किता 2 कुल रकबा 0.599 हैक्टर

राजस्व अभिलेख में **(ईदगाह अहतमाम धर्मसभा दतिया)** – लखुआ पुत्र छोटे कोम काछी प्रबंधक जिलाधीश दतिया के नाम पर दर्ज है और लखुआ पुत्र छोटे कोम काछी की मृत्यु 12-8-98 को हो चुकी है जिसके वारिस भजन, मनोहर, पत्नि (पूना फोत) पाये गये है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उक्तांकित भूमि **(ईदगाह अहतमाम धर्मसभा दतिया)** की है जिस पर लखुआ पुत्र छोटे पुजारी रहा है क्योंकि भूमि के मूल भूमिस्वामी ईदगाह अहतमाम धर्मसभा दतिया प्रबंधक कलेक्टर है और ऐसी भूमि पर बसीयत के आधार पर तहसीलदार ने आवेदक व्दारा प्रस्तुत नामान्तरण आवेदन ठीक ही निरस्त किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी दतिया ने प्रकरण क्रमांक 17/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-8-2006 से तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 585/05-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-7-2007 से आवेदक की अपील निरस्त की है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरर्थक पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 585/05-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-7-2007 विधिवत् पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर